न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(बईजलास पीठासीन अधिकारी कल्पित शिवरान आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 66/2020 ई.रे. जी.सी.एम.एस नं. 2020/00114

उनवान

1. शम्भू पिता ऊंकार जाति रावत (मीणा) निवासी जोधा तलाई, बानसी
2. भेरू पिता ऊंकार जाति रावत (मीणा) निवासी जोधा तलाई, बानसी
3. श्रीमति कंकुबाई पत्नी ऊंकार जाति रावत (मीणा) निवासी जोधा तलाई, बानसी
4. कैलाष पिता भगवाना जाति रावत (मीणा) निवासी जोधा तलाई, बानसी
5. मनोहर पिता भगवाना जाति रावत (मीणा) निवासी जोधा तलाई, बानसी
6. श्रीमति भूरी बाई पत्नी भगवाना जाति रावत (मीणा) निवासी जोधा तलाई, बानसी

तहसील समस्त बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ़ (राज.) —वादीगण

बनाम

1. मृतक रामसिंह पिता अमर सिंह जाति राजपुत निवासी बानसी के बजाय
   1/1 — हिम्मत सिंह पिता स्व0 रामसिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
   1/2— श्रीमति हस्तु देवी पत्नी स्व0 रामसिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
2. गोविन्द सिंह पिता अमर सिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
3. शक्ति सिंह पिता अमर सिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
4. श्रीमति कैलाशी बाई पत्नी स्व0 तेजसिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
5. अनिल कुमार पिता रतन सिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
6. सुनिल कुमार पिता रतन सिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
7. श्रीमति विन्दु कुंवर पिता रतन सिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
8. श्रीमति कमला देवी पत्नी स्व0 रतन सिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
9. शंकरलाल पिता भभुत ना.बा. जरिये संरक्षक माता श्रीमति लोगरी बाई पत्नी स्व. भभुत जाति रावत (मीणा) निवासी जोधातलाई, बानसी
10. कालु लाल पिता भभुत ना.बा. जरिये संरक्षक माता श्रीमति लोगरी बाई पत्नी स्व. भभुत जाति रावत (मीणा) निवासी जोधातलाई, बानसी
11. श्रीमति लोगरी बाई पत्नी स्व. भभुत जाति रावत (मीणा) निवासी जोधातलाई, बानसी
12. भूमीधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी — प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## निर्णय

दिनांक: 01.08.2024

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188,209 के तहत इस आशय का पेश किया कि — खतोनी संख्या नई 448 की आराजी खसरा नं. 1391 रकबा 0.6700है0 लगानी 8.71 रूपया, आराजी खसरा नं. 1392 रकबा 0.9400है0 लगानी 12.22 रूपया भूमि का कुल किता 2 कुल रकबा 1.6100है0 कुल लगान् 20 रूपया 93 पैसा भूमि राजस्व ग्राम बानसी पटवार सर्कल बानसी तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित हैं। इन आ[illegible] के भू-प्रबंध मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक आराजी नं. 926 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नं. 927 [illegible] बीघा 02 बिस्वा से बने है। वास्ते साक्ष्य नकल जमाबन्दी एवं मिलान क्षैत्रफल की नकल [illegible] वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 9 से लगायत् 11 का वंश वृक्ष निम्न प्र[illegible] पुरूष ऊंकार जी थे उनका स्वर्गवास हो गया है जिनके विधि[illegible] शम्भू, भेरू एवं बेवा पत्नि[illegible] कंकुबाई है। भभुत का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस शंक[illegible]ल, कालुलाल एवं श्रीमति[illegible] बाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.09.11 12:08:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

बेवा भमुत रावत है। तथा भगवाना का भी स्वर्गवास हो गया है जिनके विधिक वारिस पुत्र–कैलाश, मनोहर एवं बेवा पत्नी श्रीमति भूरी बाई है।वादग्रस्त आराजी के नये आराजी नं. 1391, 1392 कुल किता 02 कुल रकबा 1.6100है0, जिसके साबिक आराजी नं. 926 रकबा 4 बीघा 07 विस्वा, आराजी नं. 927 रकबा 3 बीघा 02 विस्वा है उक्त भूमि सम्वत् 2050 से 2053 की जमाबन्दी में प्रतिवादी कमांक 1 व 2 की माता एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 की दादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 4 की सासु तथा प्रतिवादी कमांक 05 से लगायत् 7 की दादी जी तथा प्रतिवादी क्रमांक 8 की सासु जी मु0शाणीबाई बेवा अमरसिंह जी राजपुत साकीन बानसी के नाम पर दर्ज थी, वादग्रस्त आराजीयात् वादी क्रमांक 1 व 2 के पिता वादी क्रमांक 3 के पति, प्रतिवादी क्रमांक 9 व 10 के दादा जी तथा प्रतिवादी क्रमांक 11 के ससुर श्री ऊंकार पिता हरजी रावत तथा वादी क्रमांक 4 व 5 के पिता तथा वादी क्रमांक 6 के पति स्व0 भगवाना पिता हरजी रावत निवासी जोधातलाई ने संयुक्त रूप से दिनांक 10/04/1990 को बिल एवज् 7,000/–रू. अक्षरे सात हजार रूपया में जरिये बिकाव नामा के खरीद की मु0 शाणीबाई बेवा अमरसिंह जी राजपुत ने विक्रय की राशि प्राप्त कर बिकाव नामा का विधिवत् पंजीयन स्वयं उप पंजीयक बड़ीसादड़ी के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 10.04.1990 को ऊंकार,भगवाना पिता हरजी रावत के नाम पर पंजीबद्ध करवाया। वक्त खरीद से वादग्रस्त आराजी का उपयोग–उपभोग खरीददार ऊंकार,भगवाना पिता हरजी रावत करते थे। श्री ऊंकार पिता हरजी रावत का दिनांक 09.02.2013 को स्वर्गवास हो गया।श्री भगवाना पिता हरजी रावत का दिनांक 28/11/2011 को स्वर्गवास हो गया है जिनके विधिक वारिसान् एवं उत्तराधिकारी वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक 9 से 11 है। वादग्रस्त आराजीयात् पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 9 से 11 स्व0 ऊंकार, भगवाना जी के विधिक वारिसान् एवं उत्तराधिकारी होने से उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के निर्विघ्न रूप से शान्तिपूर्वक करते चले आ रहे है। श्री ऊंकार,भगवाना पिता हरजी रावत ने विधिवत् प्रकिया के जरिये मूल खातेदार श्रीमति शाणीबाई बेवा अमरसिंह जी राजपुत से खरीद की उस पर कब्जा प्राप्त किया किन्तु ऊंकार जी एवं भगवाना जी अनपढ़ एवं वृद्ध थे जिनको कानून की कोई जानकारी नही थी जिससे वे वादग्रस्त खरीद शुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड में अपने नाम पर दर्ज नही करवा सके। उक्त भूमि विकेता मु0 शाणीबाई बेवा अमरसिंह जी राजपुत के नाम पर थी, विकेता श्रीमति शाणीबाई के देहान्त के बाद शाणीबाई की सम्पूर्ण खाते की भूमि के साथ विकित भूमि भी उनके विधिक वारिसान् प्रतिवादी क्रमांक 1 से 8 के नाम पर विरास्त से दर्ज हुई है। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 8 को भी इसकी पूर्णतया जानकारी है कि खातेदार श्रीमति शाणीबाई ने आराजी नं. 926 रकबा 4 बीघा 07 विस्वा, आराजी नं. 927 रकबा 3 बीघा 02 विस्वा भूमि श्री ऊंकार,भगवाना रावत को बिकाव की उस उनका कब्जा है जिससे प्रतिवादी क्रमांक 1 से 8 ने जब आपसी सहमति से स्व0 श्रीमति शाणीबाई से विरास्त में प्राप्त भूमि का बंटवाड़ा करवाया उसमें विकित भूमि को छोड़कर शेष भूमि का मौके कब्जे एवं हिस्से अनुसार बंटवाड़ा करवाया जो जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 की जमाबन्दी खाता संख्या 381 जिसमें नामान्तरण संख्या 1411 दिनांक 3.1.2001 है जिससे साबित होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 से 8 को बिकाव नामें की पूरी जानकारी है तथा वादग्रस्त आराजीयात् पर इनका कोई कब्जा काश्त नही है। वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में भी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 9 से 11 मौके पर ऊंकार, भगवाना के देहान्त के बाद से उक्त भूमि का विरास्त से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। इनके अतिरिक्त इस भूमि पर किसी अन्य का कोई कब्जा काश्त नही है। वादीगण वादग्रस्त आराजीयात् की खातेदारी की घोषणा अपने एवं प्रतिवादी क्रमांक 9 से 11 के नाम पर रजिस्टर्ड बिकाव नामा के आधार पर कराने के कानूनन अधिकारी है। मृतक श्री ऊंकार,भगवाना पिता हरजी रावत ने खातेदार श्रीमति शाणीबाई बेवा अमर सिंह जी राजपुत से सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनकी खाते की भूमि खरीद की एवं उसका भारतीय पंजीयन अधिनियम के अनुसार विधिवत् पंजीयन करवाया। [illegible] भूमि के मालिक व स्वामी श्री ऊंकार,भगवाना जी हो गये।उक्त भूमि के सभी स्व[illegible]रण सम्बंधी अधिकार उनमें निहित हो गये थे। जब कोई व्यक्ति अपने [illegible] के माध्यम से करता है तो उसका उस भूमि में विक्रय के [illegible] अधिकार नही रहता है। जिससे वादग्रस्त आराजीयात् में वादी क्रमांक 1 से 3 तथा प्रतिवादी क्रमांक 9 से लगायत् 11 का संयुक्त 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.09.11 12:08:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

हिस्सा ऊंकार के वारिस होने से तथा वादी क्रमांक 4 से 6 का संयुक्त 1/2 हिस्सा भगवाना जी के वारिस होने से खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। इस आधार पर खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। वादग्रस्त आराजी मे से 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा वादी क्रमांक 1 से 3 तथा प्रतिवादी क्रमांक 9 से 11 के नाम पर एवं वादी क्रमांक 4 से 6 के नाम पर 1/2 हिस्से की भूमि नाम पर कराई जाकर प्रतिवादी क्रमांक 1 से 8 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। वादग्रस्त आराजीयात् प्रतिवादी क्रमांक 1 से 8 के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है इसलिये प्रतिवादी क्रमांक 1 से 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात् के किसी हिस्सा विशेष को रहन, बय, बक्षीश या अन्य तरीके से हस्तान्तरित न करे न करावे तथा वादीगण के हिस्से एवं स्वामित्व की भूमि में दखल अंदाजी न करे न करावे। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वादीगण को अपने हिस्से की आराजी पर यथावत् काबिज रहने देवे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। जिनके समन बाद तामील प्राप्त हुये, बरौज पेशी दिनांक 02.03.2021 को प्रतिवादी नं. 2 से 7 व 8 की ओर से अधिवक्ता एस.एम माजिद ने अण्डर टेंकिग दी,प्रतिवादी क्रमांक 9 से 12 बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये, पेशी दिनांक 25.03.2021 को प्रतिवादी क्रमांक 2 से 8 के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नही करना जाहिर कर पत्रावली पर हस्ताक्षर किये, प्रतिवादी क्रमांक 2 से 8 की आवाज लगाई गई वो भी अनुपस्थित रहे जिससे इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये, प्रतिवादी क्रमांक 1 की मृत्यु होना जाहिर किया जिससे पत्रावली कायम मुकाम हेतु नियत की गई। वादीगण की ओर से पेशी दिनांक 30.03.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का पेश किया तथा पत्रावली कायम मुकाम तलबी हेतु नियत की गइ। पेशी दिनांक 03.06.2024 को कायम मुकाम की बाद तामील प्राप्त हुई। तथा पेशी दिनांक 25.07.2024 को अनुपस्थिति रहने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश परित किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायत् 12 के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पी.डब्लू 1 शम्भू, शपथ पत्र पी.डब्लू 2 भेरू, शपथ पत्र पी.डब्लू 3 श्रीमति कंकुबाई, शपथ पत्र पी.डब्लू 4 कैलाश, शपथ पत्र पी.डब्लू 5 मनोहर, शपथ पत्र पी.डब्लू 6 श्रीमति भूरीबाई व गवाह में शपथ पत्र पी.डब्लू 7 रामा पिता दला मीणा, शपथ पत्र पी.डब्लू 8 केशुराम पिता भेरा मीणा, शपथ पत्र पी.डब्लू 9. लिम्बा पिता खाना मीणा, शपथ पत्र पी.डब्लू 10 लक्ष्मण पिता तेजा मीणा के शपथ पत्र प्रस्तुत हुये। वादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित किया जिसमें ग्राम बानसी पटवार सर्कल बानसी की जमाबन्दी सम्वत् 2076 –79 खाता संख्या 448 की नकल प्रदर्श –1, मिलान क्षैत्रफल की नकल प्रदर्श –2,जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 की नकल प्रदर्श–3,जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 की नकल प्रदर्श –4,रजिस्टर्ड बिकाव नामा प्रदर्श 6,ऊंकार का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श –7ए, भगवाना का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–8ए,प्रदर्श कराये गये।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी नं. 1391, 1392 किता 2 कुल रकबा 1.6100 है0 जिसके भू–प्रबंध अनुसार साबिक आराजी नं. 926 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा,नं. 927 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा है। उक्त भूमि पूर्व में विक्रेता श्रीमति शाणीबाई बेवा अमरसिंह राजपुत निवासी बानसी के नाम पर खातेदारी थी उन्होने उक्त भूमि रजिस्टर्ड बिकाव नामा के जरिये ऊंकार,भगवाना पिता हरजी रावत निवासी जोधा तलाई को दिनांक 10/04/1990 को विक्रय की जिसका पंजीयन शाणीबाई राजपुत [illegible] उप पंजीयक कार्यालय बड़ीसादड़ी में दिनांक 10.04.1990 को रूबरू गवाहान की उपस्थिति में [illegible] भगवाना पिता हरजी रावत के नाम पर पंजीबद्ध करवाया। ऊंकार व [illegible] से जिनके वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 से 11 है। विक्रेता [illegible] अमर सिंह राजपुत ने उक्त भूमि सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विक्रय की [illegible] उसका पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.09.11 12:08:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर,
बड़ीसादड़ी

के अनुसार पंजीयन करवाया।इसलिये उक्त भूमि ऊंकार,भगवाना ने विधिवत् प्रकिया के जरिये खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा उनकी मृत्यु के वाद उनके वारिसान् वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 से 11 काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी सं. 1 से 8 ने विक्रेता शाणीबाई के नाम की अन्य खाते की भूमि थी उनकी विरासत खुलवाई उसमें वादग्रस्त आराजीयात् की भी विरासत खुल गई तथा उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 8 के नाम दर्ज हो गई जबकी प्रतिवादी सं. 1 से 8 ने सभी भूमियों का मौके कब्जे अनुसार विभाजन कर खाते अलग–अलग करवाये लेकिन उनके द्वारा उक्त विकित खाता का बंटवाडा नही करवाया क्योकि उनको पूर्ण जानकारी है कि यह जमीन शाणीबाई द्वारा विक्रय कर रखी है तथा इस पर इनका कोई कब्जा नही है जो जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 के खाता सं. 381 की नकल से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजीयात् शाणीबाई द्वारा विक्रय की उसकी पूर्ण जानकारी प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को है तथा उक्त आराजीयात् पर इनका कोई कब्जा काश्त नही है तथा गवाहो द्वारा भी वादग्रस्त आराजीयात् पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 से 11 का कब्जा होना तथा उनके द्वारा फसल बुवाई कर रखी है तथा प्रतिवादी सं. 1 से 8 का का कोई कब्जा नही है बताया गया है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादीगण का वाद पूर्णतया साबित है अन्त में वाद डिकी किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया गया अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय बहस पर चिन्तन व मनन किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श दस्तावेजो से यह सिद्ध होता है कि वादग्रस्त आराजीयात् नकल जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 में खाता संख्या 406 के अनुसार मु0 शाणीबाई बेवा अमरसिंह राजपुत के नाम पर थी, एवं मेरे द्वारा रजिस्टर्ड बिकाव नामा दिनांक 10.04.1990 प्रदर्श दस्तावेज 5ए का अवलोकन किया जिसमें खातेदार शाणीबाई बेवा अमर सिंह राजपुत ने आराजी नं. 926,927 की आराजी को ऊंकार, भगवाना को विक्रय की राशि प्राप्त करके बिकाव कर कब्जा सिपुर्द एवं मिलान क्षैत्रफल की नकल से पुराने विकित आराजी नं. के नये आराजी नं. 1391,1392 बने तथा उक्त आराजीयात् विरास्त से शाणीबाई के वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 8 के नाम दर्ज है जो दस्तावेजों से पूर्णतया सिद्ध होता है एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार रजिस्टर्ड बिकाव नामे के आधार पर विकित भूमि का नामान्तरण केता के नाम पर राजस्व रिकार्ड में नही हुआ है तथा विरासत से विकित भूमि ही प्रतिवादी सं. 1 से 8 के नाम दर्ज है जिसका प्रतिवादी द्वारा कोई विभाजन नही कराया यह भी सम्वत् 2054 से 57 की नकल से साबित है। गवाहों द्वारा भी अपने बयानों में बताया कि वादग्रस्त आराजीयात् पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 से 11 काबिज होकर काश्त अपने पिता उंकार, भगवाना के समय से तथा उनकी मृत्यु के समय से करते चले आ रहे है। समग्र विश्लेषण एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर हम वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बानसी पटवार सर्कल बानसी की आराजी खसरा नं. 1391 रकबा 0.6700 है0, आराजी नं. 1392 रकबा 0.9400है0 किता 2 कुल रकबा 1.6100 है0 भूमि में वादी सं. 1 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 9 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/24 हिस्सा, तथा वादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी कमांक 1 से लगायत् 8 का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित किया जावे।प्रतिवादी सं. 1 से 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कियाजाता है कि आराजी नं. 1391,1392 में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखल अंदाजी नही करे न करावे उक्त आश्य का डिकी पर्चा अलग से बनाया जावे।

Signature Not Verified

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 01.0[illegible] लिखाया जाकर सुनाया गयझं

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.09.11 12:08:30 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

(आदेश 20 नियम 6,7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री कल्पित शिवरान (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

1. शम्भू पिता ऊंकार जाति रावत (मीणा) निवासी जोधा तलाई, बानसी
2. भेरू पिता ऊंकार जाति रावत (मीणा) निवासी जोधा तलाई, बानसी
3. श्रीमति कंकुबाई पत्नी ऊंकार जाति रावत (मीणा) निवासी जोधा तलाई, बानसी
4. कैलाष पिता भगवाना जाति रावत (मीणा) निवासी जोधा तलाई, बानसी
5. मनोहर पिता भगवाना जाति रावत (मीणा) निवासी जोधा तलाई, बानसी
6. श्रीमति भूरी बाई पत्नी भगवाना जाति रावत (मीणा) निवासी जोधा तलाई, बानसी

तहसील समस्त बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ़ (राज.) —वादीगण

बनाम

1. 1. मृतक रामसिंह पिता अमर सिंह जाति राजपुत निवासी बानसी के बजाय
   1/1 — हिम्मत सिंह पिता स्व0 रामसिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
   1/2— श्रीमति हस्तु देवी पत्नी स्व0 रामसिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
2. गोविन्द सिंह पिता अमर सिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
3. शक्ति सिंह पिता अमर सिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
4. श्रीमति कैलाशी बाई पत्नी स्व0 तेजसिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
5. अनिल कुमार पिता रतन सिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
6. सुनिल कुमार पिता रतन सिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
7. श्रीमति विन्दु कुंवर पिता रतन सिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
8. श्रीमति कमला देवी पत्नी स्व0 रतन सिंह जाति राजपुत निवासी बानसी
9. शंकरलाल पिता भभुत ना.बा. जरिये संरक्षक माता श्रीमति लोगरीबाई पत्नी स्व.भभुत जाति रावत (मीणा) निवासी जोधातलाई,बानसी
10. कालु लाल पिता भभुत ना.बा. जरिये संरक्षक माता श्रीमति लोगरीबाई पत्नी स्व. भभुत जाति रावत (मीणा) निवासी जोधातलाई,बानसी
11. श्रीमति लोगरीबाई पत्नी स्व.भभुत जाति रावत (मीणा) निवासी जोधातलाई,बानसी
12. भूमीधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी — प्रतिवादीगण

प्रकरण संख्या 66/2020 वाद जी.सी.एम.एस नं. 2020/00114

अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 आर.टी.ए.वादी की ओर से वकील श्री अनिल सोनावा की उपस्थिति और प्रतिवादी की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बानसी पटवार सर्कल बानसी की आराजी खसरा नं. 1391 रकबा 0.6700 है0, आराजी नं. 1392 रकबा 0.9400है0 किता 2 कुल रकबा 1.6100 है0 भूमि में वादी सं. 1 का 1/8 हिस्सा,वादी सं. 2 का 1/8 हिस्सा,वादी सं. 3 का 1/8 हिस्सा,प्रतिवादीसं. 9 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 का 1/24 हिस्सा,प्रतिवादी सं. 11 का 1/24 हिस्सा, एवं वादी सं. 4 का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 5 का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 6 का 1/6 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 8 का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 से 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी नं. 1391,1392 में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखल अंदाजी नही करे न करावे।

इस वाद के खर्चे x प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित x को दी जावे। यह आज दिनांक 01.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

(कल्पित शिवरान)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.09.11 12:08:30 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक/राजस्व/2024/ 182 दिनांक

मूल ही डिग्री की प्रति तहसीलदार बडीसादडी को भेजकर लेख है कि डिग्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर पालना रिपोर्ट 05.09.2024 से पुर्व न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जावें।

सहायक कलक्टर
बडीसादडी